

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 04/2020

हरफूल पुत्र श्री मानाराम अहीर, जाति-अहीर, निवासी-स्याऊ, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

बनाम

अपीलान्ट,

राजस्थान सरकार जरिये उप-तहसीलदार, उप-तहसील, गोविन्दगढ़, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

रेसपोडेंट,

(अपील विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ़, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर निर्णय दिनांक 06.04.2018 मिसल सं० 04/2018 उनवानी सरकार बनाम हरफूल)

उपस्थित:-

1. श्री बंशीधर जाट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. परोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.10.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम कालू का बास उर्फ श्यामनगर स्थित भूमि ख०नं० 463 रकबा 0.43 हे० गै.मु. रास्ता में से 26.40 वर्गमीटर भूमि पर उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ़ द्वारा प्रकरण सं० 04/2018 उनवानी सरकार बनाम हरफूल में वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 06.04.2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेसपोडेंट को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ़ से वादग्रस्त प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि पटवारी हल्का - धोवलाई द्वारा उप-तहसीलदार, उप-तहसील गोविन्दगढ़ को रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कालू का बास उर्फ श्यामनगर स्थित ख०नं० 463 कुल रकबा 0.43 हे. गै.मु. रास्ते में 26.40 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलान्ट को नोटिस जारी कर दिनांक 23.01.2018 से पूर्व अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्रदान किये गये। नियत तिथी दिनांक 23.01.2018 को अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। उन्हे जवाब हेतु 20-25 दिन का समय दिया जावे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.04.2018 को अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्शाते हुए बिना सुनवाई का मौका दिये निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलान्ट के जवाब को रिकार्ड पर लिया गया ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक साईक्लोस्टाईल निर्णय है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया है। केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर



[Handwritten signature]

निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि उनकी क्रयशुदा भूमि है। विवादित स्थल पर घनी आबादी बसी हुई है जिसके कारण साधारण तरीके से वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान किया जाना भी संभव नहीं है। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि दिनांक 06.04.2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, जिसके संदर्भ में पुनः दिनांक 22.12.2019 को अपीलान्त को नोटिस प्राप्त होने पर आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 24.12.2019 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को माफ किया जा कर जानकारी की तिथि से अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ द्वारा बिना भूमि का सीमाज्ञान कराये अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जा कर उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि पर 26.40 वर्गमीटर भूमि पर पुख्ता निर्माण किया जाना पाया गया है। अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था, परन्तु अपीलान्त हरफूल ना तो तारीख पेशी दिनांक 15.03.2018 को उपस्थित हुआ ना ही दिनांक 06.04.2018 को उपस्थित हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि-अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गौर पूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा धारा-05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनको अधिनस्थ न्यायालय के एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.04.2018 की जानकारी नहीं थी। उन्हे पुनः दिनांक 22.12.2019 को नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई है। अतः न्यायहित में एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने की दृष्टि से अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुए डिले को कण्डोन किया जाता है। पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम कालू का बास उर्फ श्यामनगर स्थित आराजी ख0न0 463 रकबा 0.43 हे0 में से 26.40 वर्गमीटर भूमि किस्म गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट की गई थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को नोटिस दिया गया था। अपीलान्त द्वारा नोटिस का कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया। अपितु जवाब देने के लिए केवल समय चाहा गया था। इसके पश्चात् की आगामी दो तारीख पेशियों पर भी अपीलान्त के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि-अनुरूप निर्णय पारित किया गया है।

उक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब के लिए पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद अपीलान्त या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए! अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय की तारीख पेशी दिनांक 15.03.2018 व 06.04.2018 को उपस्थित भी नहीं हुआ था। अतः उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय विधि-अनुरूप है। अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2021 को सुनाया गया।



(Signature)
29.10.21
(डॉ. अशोक कुमार)
आतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर